राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम् कुमारी मधु वगैरा
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या—4549/2018

आदेश दिनांक **30.11.2018**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी बीमा कम्पनी

—————————

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 6 को पुनः नये सिरे से नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस हेतु एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करे।

इस दौरान यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा एक माह की अवधि में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,अजमेर (राज.) द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 13.07.2018 की सम्पूर्ण राशि अधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर दावेदार—प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त राशि में से 50% राशि आक्षेपित पंचाट अनुसार प्राप्त कर सकेंगी। शेष 50% राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में दो वर्ष की अवधि के लिए FDR's के रूप में निवेश की जावे एवं आवश्यकता होने पर उनका समय समय पर नवीनीकरण करवाया जावे।

सत्यमेव जयते

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
S-74